विभागीय योजनायें

नन्दी शाला योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य देशी वर्णित गौसांड का प्रदाय)

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	ग्रामीण क्षेत्रो की स्थानीय अवर्णित/श्रेणीकृत,गौ वंशीय पशुओ की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडो का प्राकृतिक गर्भाधान सेवाये हेतु पशुपालको को अनुदान आधार पर प्रदाय ।
2.	योजना	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान पर देशी वर्णित नस्ल गौ-सांड यथा साहीवाल,थरपारकर,हरियाणा,गिर,गौलव,मालवी,निमाडी,केनकथा आदि नस्ल के प्रदाय । योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू ।
3.	हितग्राही	सभी वर्ग के पशुपालक जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 5 गौवंशीय पशुधन या जिनके पास कृषि भूमि नही है किन्तु 20 या उससे अधिक पशु है।
4.	योजना इकाई	देशी वर्णित नस्ल गौ-सांड यथा साहीवाल,थारपारकर,हरियाणा,गिर,गौलव,मालवी,निमाडी, केनकथा आदि नस्ल के प्रदाय ।
5.	इकाई लागत	देशी वर्णित गौ सांड(मालवी, निमाड़ी, केनकथा आदि) का मूल्य परिवहन सहित रू.15,000.00, तीन वर्ष का बीमा 6.4 प्रतिशत की दर से रू.960.00,प्रथम 60 दिवस के लिए पशु आहार रूपये 2100.00, प्रशिक्षण बुकलेट एवं मा◌ॅनिटरिंग कार्ड हेतु रू. 200.00, कुल रूपये 18260.00 प्रदेश की बाहर के नस्ल के देशी वर्णित गौ सांड (साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा,गिर आदि) का मूल्य परिवहन सहित रू. 22000.00, तीन वर्ष का बीमा 6.4 प्रतिशत की दर से रू. 1420.00, प्रथम 60 दिवस के लिए पशु आहार रूपये 2100.00, प्रशिक्षण बुकलेट एवंमा◌ॅनिटरिंग कार्ड हेतु रू. 200.00, कुल रूपये 25720.00
6.	अनुदान	प्रति इकाई अनुदान 75 प्रतिशत सभी वर्ग के पशुपालक. हितग्राही अंशदान 25 प्रतिशत

सं.क्र.	योजना	विवरण
7.	चयन प्रक्रिया	आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । खण्ड स्तरित पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत मे आवेदनों पर अनुमोदन प्राप्त करेगा। उपसंचालक प्राप्त प्रकरणों को उपलब्ध बजट अनुसार जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगा। चयन परॉंत पशु चिकित्सा विभाग से अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अन्य शर्ते जो विभाग द्वारा लागू की गई है।
8.	संपर्क	संबंधित ग्राम पंचायत/निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था /उपसंचालक पशु चिकित्सा ।

समुन्नत पशु प्रजनन योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य पेडीग्रिड मुर्रा सांड का प्रदाय योजना सभी वर्ग के लिए)

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	नस्ल सुधार
2.	योजना	इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील पशुपालक अथवा प्रशिक्षित गौ सेवक को पेडीग्रिड प्रजनन योग्य मुर्रा सांड प्रदाय किये जाते है। योजना प्रदेश के सभी जिलों मे लागू । योजना , सभी वर्गों के लिए।
3.	हितग्राही	सभी वर्ग के पशु पालक।
4.	योजना इकाई	प्रजनन योग्य पेडीग्रिड मुर्रा सांड़
5.	इकाई लागत	रूपये 45000.00 परिवहन, बीमा सहित ।
6.	अनुदान	सभी वर्ग के लिए 75 प्रतिशत

सं.क्र.	योजना	विवरण
7.	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय

बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय (योजना सभी वर्ग के लिए)

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	देशी बकरियों मे नस्ल सुधार लाना। हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति मे सुधार लाना। मांस तथा दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि करना।
2.	योजना	योजना सभी वर्ग के भूमिहीन,कृषि मजदूर,सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये। हितग्राही को बकरी पालन का अनुभव हो।
3.	हितग्राही	सभी वर्ग के भूमिहीन,कृषि मजदूर,सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये।
4.	योजना इकाई लागत	

सं.क्र.	विवरण	(10+1) बकरी इकाई
1.	देशी स्थानीय नस्ल की बकरी दर 6000/- प्रति बकरी	60000.00
2.	1 जमुनापारी /बारबरी/सिरोही /बीटल बकरा	7500.00
3.	बीमा राषि 10.35: के दर से 5 वर्ष के लिये	6986.00
4.	बकरी आहार 3 माह के लिये 250 ग्राम प्रतिदिन रू0 12/- प्रतिकिलो	2970.00

सं.क्र.	योजना	विवरण
		योग 77456.00
5.	अनुदान प्रति इकाई	अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत् अनुदान । सामान्य वर्ग के लिये 40 प्रतिशत् अनुदान इकाई लागत का 10 प्रतिशत् हितग्राही अंशदान, शेष बैंक ऋण
6.	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें।
7.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी / उपसंचालक पशु चिकित्सा ।

अनुदान के आधार पर नर बकरा प्रदाय योजना

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	देशी / स्थानीय बकरियों की नस्ल मे सुधार लाना ।
2.	योजना	इस योजना में सभी वर्ग के बकरी पालक को उन्नत नस्ल का एक नर बकरा अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान। योजना प्रदेश के सभी जिलों मे क्रियान्वित।
3.	हितग्राही	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामन्य वर्ग के बकरी पालक जिनके पास न्यूनतम 5 बकरियां हो।
4.	योजना	जमनापारी,बारबरी एवं सिरोही बकरा

सं.क्र.	योजना	विवरण
	इकाई	
5.	इकाई लागत	रूपये 8300.00 (बकरे का मूल्य 7500.00,बीमाराशि 3.75 प्रतिशत एक वर्ष हेतु रु.206.00,मिनरल मिक्सचर रु.394.00 एवं प्रशिक्षण बुकलेट व मा◌ॅनिटरिंग कार्ड हेतु 200.00)
6.	अनुदान	सभी वर्ग के लिए 75 प्रतिशत एवं हितग्राही अंश 25 प्रतिशत ।
7.	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी / उपसंचालक पशु चिकित्सा ।
सं.क्र.	योजना	विवरण

अनुदान पर कुक्कुट इकाई का प्रदाय बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 रंगीन चूजों की बैकयार्ड इकाई (योजना केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए)

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति मे सुधार ।

<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th>योजना</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>योजना</td><td>यह योजना केवल अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये
बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजे लो इनपुट टेक्नोलाजी खाद्यान्न,औषधि/टीकाकरण एवं परिवहन (चिक बाक्स सहित) का प्रावधानयोजना अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जिलों मे ही लागू।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>हितग्राही</td><td>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुक्कुट पालक ।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>योजना इकाई</td><td>बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 रंगीन चूजे ।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>इकाई लागत</td><td><table>
<tr><td>बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजों का मूल्य प्रति इकाई (प्रति चूजा रू 45/-)</td><td>रू. 1800.00</td></tr>
<tr><td>औषधि/टीकाकरण रू 5 प्रति चूजा</td><td>रू.200.00</td></tr>
<tr><td>परिवहन (चिक बाक्स सहित)</td><td>रू. 225.00</td></tr>
<tr><td>योग इकाई लागत</td><td>रू 2225.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अनुदान</td><td>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये 80 प्रतिशत
हितग्राही अंश 20 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>चयन प्रक्रिया</td><td>हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>संपर्क</td><td>संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी / उपसंचालक पशु चिकित्सा ।</td></tr>
</table>

अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय) योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)

सं.क्र.	योजना	विवरण
5.	इकाई लागत	रूपये 15000.00
6.	अनुदान	अनुसूचित जन जाति के सूकर पालकों को 75 प्रतिशत् अनुदान के आधार पर।
7.	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
8.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी / उपसंचालक पशु चिकित्सा ।

अनुदान पर कडकनाथ चूजे का प्रदाय (योजना केवल अनुसूचित जन जाति केे लिए)

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति मे सुधार एवं कडकनाथ नस्ल के संरक्षण एंव संवर्धन हेतु।
2.	योजना	यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजे, खाद्यान्न, औषधि, परिवहन का प्रावधान योजना अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों मे
3.	हितग्राही	अनुसूचित जनजाति के कुक्कुट पालक ।
4.	योजना इकाई	बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 कडकनाथ चूजे

सं.क्र.	योजना	विवरण	
5.	इकाई लागत	बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजों का मूल्य प्रति चूजा रू 65/-	रू. 2600.00
		औषधि/टीकाकरण रू 5 प्रति चूजा	रू.200.00
		परिवहन (चिक बाक्स सहित)	रू. 210.00
		कुक्कुट आहार 48 ग्राम प्रति पक्षी प्रतिदिन, 30 दिवस हेतु कुल आहार 58 किलो रू. 24 प्रतिकिलो	रू. 1390.00
		योग इकाई लागत	रू 4400.00
6.	अनुदान	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 80 प्रतिशत हितग्राही अंश 20 प्रतिशत	
7.	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।	
8.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी / उपसंचालक पशु चिकित्सा ।	

वत्स पालन प्रोत्साहन योजना

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देशी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च आनुवाशिंक गुणों वाले वत्सों का संरक्षण एवं संर्वधन करना है।

सं.क्र.	योजना	विवरण
2.	योजना	ऐसे पशुपालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल के पशु (गाय) है तथा जिनका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत दुग्ध उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है एवं उसका वत्स उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले भारतीय नस्ल के सांड़ के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पैदा हुआ है। ऐसी गायों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि रू.5000.00(पांच हजार) एवं उनके वत्सों के संरक्षण हेतु राशि रू.500.00(रूपये पांच सौ) प्रतिमाह पशु आहार/औषधी के रूप में 0-4 माह की उम्र से दो वर्षो तक प्रदाय की जाएगी। इस योजना में नर एवं मादा दोनो प्रकार के वत्स लाभान्वित हो सकेंगे।
3.	हितग्राही	यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है।

गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक एवं रिफ्रेशर)

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
2.	हितग्राही	प्रांरभिक प्रशिक्षण- सभी वर्ग के 10वीं पास 18 से 35 वर्ष के आयु के शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार । रिफ्रेशर प्रशिक्षण-प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवक ।
3.	चयन प्रक्रिया	प्रांरभिक प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत से वहाँ के निवासी 10वीं पास शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार का चयन जनपद पंचायत के अनुमोदन पर किया जाएगा। रिफ्रेशर प्रशिक्षण-प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवकों का वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा।

सं.क्र.	योजना	विवरण
4.	इकाई लागत	प्रारंभिक प्रशिक्षण- रू 1000.00 प्रतिमाह के मान से छः माह हेतु रू 6000.00 ेजपचमदक,रू 1200.00 की कीट, इस प्रकार (कुल रू 7200.00 प्रति गौसेवक) रिफ्रेशर प्रशिक्षण- रू 500.00 की ेजपचमदक एवं रू 100.00 की पाठ्य सामग्री इस प्रकार (कुल रू 600.00 प्रति गौसेवक)
5.	स्टायपंड	प्रांरभिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण में क्रमशः 6000.00 एवं 500.00 का ेजपचमदक शत् प्रतिशत विभाग द्वारा देय होगा। इसी प्रकार प्रारंभिक प्रशिक्षण में 1200.00 की किट (प्रति गौसेवक)एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए 100.00 की पाठ्य सामग्री (प्रति गौसेवक)भी शत् प्रतिशत विभाग द्वारा देय होगी।
6.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी / उपसंचालक पशु चिकित्सा ।

गोपाल पुरस्कार योजना (यह योजना सभी वर्ग के लिए)

सं.क्र.	योजना	विवरण
1.	उददेश्य	भारतीय उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशुओं के पालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार योजना प्रस्तावित की गई है। जिससे पशुपालकांे को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा एवं भारतीय उन्नत नस्ल की गाय से उत्पन्न नर वत्स खेती के लिये उपलब्ध होगे । साथ ही दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं भारतीय उन्नत नस्ल के गौवंशीय उत्पादक पशुओं की सँख्या में वृद्धि होगी।
2.	योजना	पविकासखण्ड स्तरीय , जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में समिति गठित कर सम्पन्न करेगें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर संचालक पशु चिकित्सा सेवाये की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। शिविर आयोजित कर प्रतियोगिता सम्पन्न कराई जाएगी। प्रतियोगिता वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।
3.	हितग्राही	सभी वर्ग के पशु पालक जिनके पास भारतीय उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध हो

<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th>योजना</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>योजना इकाई लागत</td><td>
विकासखण्ड स्तरीय पुरस्कारः-
<table>
<tr><td>प्रथम पुरस्कार</td><td>रूपये 10,000.00</td></tr>
<tr><td>द्वितीय पुरस्कार</td><td>रूपये 7,500.00</td></tr>
<tr><td>तृतीय पुरस्कार</td><td>रूपये 5,000.00</td></tr>
<tr><td>प्रचार प्रसार शिविर कार्यक्रम आयोजन एवं पशुओं के चारा पानी, पशुपालकों की व्यवास्था हेतु</td><td>रूपये 10,000.00</td></tr>
</table>
जिला स्तरीय पुरस्कारः-
<table>
<tr><td>प्रथम पुरस्कार</td><td>रूपये 50,000.00</td></tr>
<tr><td>द्वितीय पुरस्कार</td><td>रूपये 25,000.00</td></tr>
<tr><td>तृतीय पुरस्कार</td><td>रूपये 15,000.00</td></tr>
<tr><td>सांत्वना पुरस्कार (रू. 5000 * 7 पुरस्कार)</td><td>रूपये 35,000.00</td></tr>
<tr><td>प्रचार प्रसार शिविर कार्यक्रम आयोजन एवं पशुओं के चारा पानी, पशुपालकों की व्यवास्था हेतु</td><td>रूपये 50,000.00</td></tr>
</table>
राज्य स्तरीय (संचालनालय स्तर) पुरस्कारः-
<table>
<tr><td>प्रथम पुरस्कार</td><td>रूपये 2.00लाख.</td></tr>
<tr><td>द्वितीय पुरस्कार</td><td>रूपये 1.00लाख</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th>योजना</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>तृतीय पुरस्कार</td><td>रूपये 0.50लाख</td></tr>
<tr><td>सांत्वना पुरस्कार (रू.10000 * 7 पुरस्कार)</td><td>रूपये 0.70 लाख.</td></tr>
<tr><td>प्रचार प्रसार शिविर कार्यक्रम आयोजन एवं पशुओं के चारा पानी, पशुपालकों की व्यवस्था हेतु</td><td>रूपये 2.00 लाख.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पुरस्कार</td><td>विकासखण्ड, जिला, राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं जिला, राज्य स्तरीय 7-7 सांत्वना पुरस्कार।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>चयन प्रक्रिया</td><td>योजना विकासखण्ड स्तरीय, जिला एवं राज्य स्तर पर संचालित की जाएगी। प्रतियोगिता में ऐसी दूध देने वाली भारतीय नस्ल की गायों को पंजीकृत किया जाएगा, जिसका दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन का 4 लीटर या अधिक हो।</td></tr>
</table>

पषुधन बीमा योजना

योजना का उदेश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारु/गैर दुधारु/अन्य पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की पप्रतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना हैं। योजना की क्रियान्वयन इकाई म0प्र0 पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से पूर्व संचालित पशुधन बीमा योजना प्रारुप में संशोधन कर, पशुधन बीमा को रिस्क मैनेजमेंट के रुप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन में शामिल किया गया है, जिसमें प्रदेश के समस्त जिले शामिल किए गए हैं। योजनान्तर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा (दुधारु देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य जानवर जैसे-घोडा/गधा/उंट/नर-गौवंश भैंस वंश/बकरी/भेड/सूकर/ खरगोश इत्यादि) से लाभान्वित किया जाएगा। अब यह योजना गरीबी रेखा से उपर वाले हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत पर संचालित की जा रही।

मैत्री योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एनपीबीबी योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 से संचालित है। इस योजना के तहत गौसेवकों को चार माह का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है।

जिसमें 1 माह का सैद्वांतिक प्रशिक्षण कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों में एवं 3 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण जिलों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/पशु चिकित्सालयों में दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रति प्रशिक्षणार्थी राशि रू. 4000/- प्रतिमाह के हिसाब से कुल 4 माह की प्रशिक्षण अवधि हेतु कुल राशि रू.16000/- स्टाईफंड के रूप में दी जाती है। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें कृत्रिम गर्भाधान किट प्रदाय की जाती है ताकि वह क्षेत्र में जाकर कृत्रिम गर्भाधान कार्य एवं अन्य कार्य प्रारंभ कर सकें। मैत्री द्वारा कार्य प्रांरभ करने के उपरंात उन्हें 3 वर्षों के लिए टेपरिंग ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। जिसमें प्रथम वर्ष में राशि रू.1500 प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष मंे राशि रू. 1200 प्रतिमाहएवं तृतीय वर्ष में रू.800 प्रतिमाह टेपरिंग ग्रांट के रूप में दी जाती है।

ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्गों के हितग्राहियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर यह योजना वर्ष 2010-11 से मध्यप्रदेश में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2014-15 से योजना को राष्ट्रीय पशुधन मिशन मंे समाहित कर 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 5 प्रतिशत राज्यांश तथा 20 प्रतिशत हितग्राही अंश पर प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को बिना लिंग भेद के 4 सप्ताह के लो इनपुट टेक्नाॅलोजी वाले 45 पक्षी दो चरणों में प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए दढ़बा बनाने हेतु रु. 1500 दिए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक मदर यूनिट सेे 300 हितग्राहियों को चूजे प्रदाय किए जाते हैं। मदर यूनिट के हितग्राही रु. 60,000 अनुदान के पात्र होंगे जो सीधे उनके खाते में जमा किया जाता है। । मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों का रु. 45 प्रति चूजा का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016-17 से योजना को 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 20 प्रतिशत राज्यांश तथा 20 प्रतिशत हितग्राही अंश पर प्रदेश में संचालित की जा रही है।